(192) (68)

प्रकरण क्रमांक – R. 5111–दो/16

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा) म0प्र0

रामसरोवर तनय गोविन्दराम ब्रा0 उम्र 50 वर्ष, पेशा–खेती, निवासी ग्राम दड़ौर, तहसील मझौली, जिला सीधी म0प्र0

.......आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1– मीरा उर्फ ननबैया पुत्री सेनाई पनिका निवासी ग्राम बांणसागर तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल म0प्र0

2– कुसुम पुत्री सोनई पनिका निवासी ग्राम बांणसागर तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल म0प्र0

3– मुन्नी पुत्री सोनई पनिका निवासी ग्राम दड़ौर, तहसील मझौली, जिला सीधी म0प्र0

4– उमाशंकर तनय. रामहीन पनिका मृतक (औपचारिक पक्षकार)

-----अनावेदकगण

पुनरीक्षण (निगरानी) आदेश विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला सीधी म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क0–371/निगरानी/2011 –12 में पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2016

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959.

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्नलिखित हैः–

1– यह कि आवेदक भूमिहीन कृषक श्रमिक व्यक्ति है आवेदक द्वारा ग्राम दड़ौर की भूमि नम्बर–68/1 रकवा 0.607हे0 को कृषि योग्य सुधार करके मौके से मकान

68

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक RS111-II/16 जिला– सीधी

रामसरोवर ओ० विरुद्ध मीरा उर्फ ननबैया

(1)	(2)	(3)
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री कान्ता प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 37/अ/निग०/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 19-02-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	